(154)

CF-20/-

समक्ष- न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, म.प्र.

(सागर संभाग, केम्प)

निगरानी 2212-I-15

रा.पु.याचिका

पेशी तारीख

1. इंदरसींग उम्र 56 वर्ष पिता गुलाबसींग

2. माखन उम्र 60 वर्ष पिता गुलाबसींग

3. प्रकाश सींग उम्र 50 वर्ष पिता गुलाबसींग

सभी निवासी-ग्राम पिपरियाचंपत तहसील पथरिया जिला दमोह म.प्र.

...पुनरीक्षणकर्तागण

// बनाम //

1. दामोदर उम्र 70 वर्ष पिता शिवगुलाम कुर्मी

2. प्रेमरानी उम्र 72 वर्ष बेवा रामगोपाल कुर्मी

सभी निवासी-ग्राम हरदुवानी तहसील पथरिया जिला दमोह, म.प्र.

...उत्तरवादीगण

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता:

अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी पथरिया जिला दमोह के रा.प्र.क्रं.25316/वर्ष 13-14 में के पक्षकार दामोदर पिता शिवगुलाम न. 1 बनाम इन्दरसींग वल्द गुलाबसींग न. 2 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 30.5.15 के विरुद्ध एवं उससे पीड़ित व दुखी होकर यह पुनरीक्षण याचिका अन्य आधारों के अलावा निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत है:-

15 JUN 2015

कार्यालय कमिश्नर, सागर संभाग, सागर (म.प्र.)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–निगरानी–2212–एक/2015 जि० दमोह

इंदरसींग आदि विरूद्ध दामोदर व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22–08–2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी पथरिया, जिला–दमोह के प्रकरण क्रमांक 25/अ–6/2013–2014 में पारित आदेश दिनांक 30–05–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27–07–2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25–9–2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला–दमोह के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 04–11–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0के0 जैन) सदस्य	